न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 23/10 अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. बागसिंह पुत्र बस्सरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:------- अपीलांट

बनाम

1 हरदयाल पुत्र पल्टूराम जाति जांगिड निवासी मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
2 उपखंड अधिकारी, किशनगढबास
3 तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, किशनगढबास

:------ रेस्पो0

4 शांतिकौर बेवाह दर्शनसिंह जाति सिख
5 गगनसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति सिख
6 बब्लसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति सिख
7 गोगाकौर पुत्री दर्शनसिंह जाति सिख
8 पिंकी पुत्री दर्शनसिंह जाति सिख
9 सुरतीबाई बेवाह प्रितम सिंह जाति सिख
10 सीमा कौर बेवाह प्रितमसिंह जाति सिख
11 पिन्टूसिंह पुत्र प्रितमसिंह जाति सिख
12 अवतारसिंह पुत्र प्रितमसिंह जाति सिख
13 विक्कीसिंह पुत्र प्रितमसिंह जाति सिख
14 सुनीताकौर पुत्री प्रितमसिंह जाति सिख
15 गोरखीकौर पुत्री प्रितमसिंह जाति सिख
16 ज्योतिकौर पुत्री प्रितमसिंह जाति सिख
17 परमजीत कौर बेवाह बिरजू सिंह सिख
18 कुलदीप सिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति सिख
19 गुरजीतसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति सिख

भू--प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

20 बलजीतकौर पुत्री बिरजूसिंह जाति सिख

21 महेन्द्रसिंह पुत्र बस्सरसिंह जाति सिख

22 करणसिंह पुत्र बस्सरसिंह जाति सिख

सभी निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी, किशनगढबास

दिनांक 4.6.2010

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री मनजीत सिंह

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री महादेवा प्रसाद जांगिड

निर्णय दिनांक 30.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 4.6.10 के खिलाफ है, जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 13 एयर वाके ग्राम मूसाखेडा तहसील कि शनगढबास की खातेदारी की सनद हरदयाल पुत्र पल्टूराम जाति जांगिड के पक्ष में जारी करने का आदेश दिया गया था।

2 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि ख0 नं0 रकबा 13 एयर वाके ग्राम मूसाखेड़ा अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पो0 के वालिद बस्सर सिंह की कब्जे काश्त गैर खातेदारी की थी। इनके बाद विरासत में हमको मिली। विरासत का इन्तकाल वर्ष 2009 में हमारे पक्ष में स्वीकार हो गया। रेस्पो0 नं0 01 हरदयाल का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। उसका कोई कब्जा नही है। हमारे वालिद ने कोई प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 19.03.1985 को हरदयाल के पक्ष में निष्पादित नही किया। परन्तु इस तथाकथित प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर आवंटन समिति ने पट्टा जारी कर दिया। हमको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। प्रतिज्ञा पत्र 1985 में निष्पादित हुआ था। इतने पुराने प्रतिज्ञा पत्र को हमको सुनकर अनुप्रमाणित नही कराया। कोई जांच नही की गई। पटवारी हल्का ने मिलीभगत करके रिपोर्ट की है। जिन गवाहों की गवाही कराई गई है, वो खुद विश्वसनीय नहीं है, क्योकि वे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मूसाखेड़ा हत्याकांड के अभियुक्त हैं। सनद गलत तौर पर जारी की गई है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 01 का कथन है कि विवादित भूमि ख0 नं0 530 रकबा 13 एयर का गैर खातेदार बस्सर सिंह था, जिसने मेरे पिता पलटूराम को आराजी का सौदा कर प्रतिज्ञा पत्र लिख कर दे दिया और कब्जा सम्भाल दिया। पलटूराम के देहान्त होने के बाद मैं भूमि पर काबिज हो गया। इस प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर खातेदारी की सनद लेने हेतु मैंने प्रा0 पत्र दिया, जिस पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि कब्जा हरदयाल का है, उसने मकानात बना रखे हैं बिजली कनेक्शन ले रखा है। इसके बाद आवंटन कमेटी ने मेरे पक्ष में खातेदारी की सनद जारी करने का आदेश पारित किया। अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अपील सारहीन है। अतः अपील खारिज की जावे।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। तहत पत्रावली में संलग्न प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार बस्सर सिंह ने विवादित भूमि का सौदा 7500/–रू पलटूराम, जो कि रेस्पो0 नं0 01 का पिता है, से किया था और समस्त हक हकूक कब्जा क्रेता का सम्भाल दिया था। इसके रेस्पो0 नं0 01 हरदयाल ने इस प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर खातेदारी की सनद लेने हेतु भू आवटंन कमेटी के समक्ष प्रा0 पत्र दिया था। इस प्रा0 पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि विवादित भूमि पर हरदयाल का कब्जा है। उसने मकानात बना रखे है। बिजली कनेक्शन ले रखा है। भूमि क्रय करने के बाद ही हरदयाल ने पुख्ता मकान बना लिये। भू अभिलेख निरीक्षक ने भी हरदयाल का कब्जा बताया है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट आने के बाद पत्रावली आवंटन कमेटी आने के बाद पत्रावली आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुई। आवंटन कमेटी ने सर्वसम्मिति से विवादित भूमि की खातेदारी की सनद जारी करने की आज्ञा पारित की, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं, क्यों कि विवादित भूमि का सौदा जरिये प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 19.03.1985 रेस्पो9 सं0 01 हरदयाल के पिता पलटूराम 7500/– रूपये में किया था और कब्जा पलटूराम को सम्भाल दिया था। वक्त खरीद से ही रेस्पो0 01 हरदयाल के पिता पलटूराम और उनके देहान्त के बाद हरदयाल का कब्जा चला आ रहा है। पटवारी हल्का एंव भू अभिलेख निरी0 की रिपोर्ट में भी हरदयाल का कब्जा बताया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आज्ञा में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर आवंटन/नियमन कमेटी, किशनगढबास की आज्ञा दिनांक 04.06.2010 यथावत रखी जाती है।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर